न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 15/2022 *(जी सी एम एस नम्बर 2022/26)*

उनवानी प्रकरण :–

1–सत्यप्रकाश पुत्र रामभरोषी | समस्त जातिगण गौड
2–बनवारी पुत्र रामभरोषी |
3–राजेश पुत्र रामभरोषी | निवासीगण तसीमों
4–मुन्नी पुत्री रामभरोषी | तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर
5–मीनेश पुत्री रामभरोषी | ——————अपीलान्टस

बनाम्

1–तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर —————————— असल रेस्पोडेण्ट
2–भूरी पत्नी केशब / समस्त जातिगण गौड
3–धमेन्द्र पुत्र केशब /
4–लोकेन्द्र पुत्र केशब / निवासीगण ग्राम तसीमों
5–शुधा पुत्री केशब /
6–नेहा पुत्री केशब / तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर
7–सुशीला पत्नी राकेश /
8–अशीष पुत्र राकेश /
9–पुर्णिमा पुत्री राकेश / ————————तरतीवी रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 315 दिनांक 15.02.2015 बॉके ग्राम तसीमों आदेश तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राज. अभि0

निर्णय दिनांक : 17.10.2022

उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि आराजी मुन्दर्जे नामान्तकरण संख्या 315 वाके ग्राम तसीमों तहसील सैंपऊ के खातेदार काश्तकार अपीलान्टस के पिता रामभरोषी पुत्र देवीलाल जाति गौड निवासी

तसीमों थे। रामभरोषी के निधन के उपरान्त उनका समस्त तर्का विरासतन अपीलान्टस एवं तरतीवी रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 9 पर मुताविक हिस्सा प्रकान्त हुआ है। रामभरोषी के निधनोपरान्त उनकी विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज किया है जिसमें अपीलान्टस के पिता का नाम रामभरोषी के बजाय देवीलाल दर्ज कर दिया है जो कि असलियत के विपरीत है जबकि वास्तविकता यह है कि देवीलाल अपीलान्टस के बाबा का नाम है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व रैस्पो0सं01 द्वारा किसी प्रकार कोई नामान्तकरण पर इन्द्रांजो का अवलोकन नहीं किया जबकि नामान्तकरण पर दर्ज सजरा सही अंकित किया गया है जबकि नामान्तकरण के कोलम नम्बर 9 में अपीलान्टस के पिता का नाम रामभरोसी के बजाय देवीलाल दर्ज कर दिया है जो अपने आप में गलत एंव नामान्तकरण पर दर्ज इन्द्राजो के विपरीत है। नामान्तकरण आदेश पारित करने से पूर्व नामान्तकरण पंजिका में दर्ज इन्द्राजो की किसी प्रकार कोई जांच पडताल नहीं की अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नामान्तकरण पंजिका में अंकित सजरा में दर्ज प्रविष्टियों के विपरीत जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन नामान्तकरण का ज्ञान अपीलांटस को सर्वप्रथम दिनांक 25.03.2022 को हल्का पटवारी से हुआ उसी दिन दिनांक 25.03.2022 को अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र तहसील सैपऊ में प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्टस को दिनांक 29.03.2022 को प्राप्त हुई। अपीलान्ट ज्ञान से अविलम्ब अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे शून्य आदेशों पर मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है फिर भी प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 315 वांके ग्राम तसीमों तहसीलदार सैपऊ निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्टस के पिता देवीलाल के बजाय रामभरोषी अंकित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्टस ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 315 वांके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ, नकल जमाबन्दी संबत 2076–79 खाता संख्या 559 ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायन शर्मा उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश का ज्ञान सर्वप्रथम अपीलान्ट को दिनांक 25.03.2022 को हल्का पटवारी से हुआ हुआ। जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है । अपील प्रस्तुत करने

में हुई देरी को कन्डौन किया जाकर अपील अपीलान्ट ज्ञान से अंदर अवधि शुमार की जावे। रैस्पोडेन्ट के अभिभाषक का कथन है कि विलम्ब क्षमा करने के लिए कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रा0 पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट मियाद बाहर पेश की गई है। अतः प्रा0पत्र काबिल खारिजी के है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जाती है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि रामभरोषी के निधनोपरान्त उनकी विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज किया है जिसमें अपीलान्टस के पिता का नाम रामभरोसी के बजाय देवीलाल दर्ज कर दिया है जो कि असलियत के विपरीत है जबकि वास्तविकता यह है कि देवीलाल, अपीलान्टस के बाबा का नाम है। नामान्तकरण पर दर्ज सजरा सही अंकित किया गया है जबकि नामान्तकरण के कोलम नम्बर 9 में अपीलान्टस के पिता का नाम रामभरोसी के बजाय देवीलाल दर्ज कर दिया है जो अपने आप में गलत एंव नामान्तकरण पर दर्ज इन्द्राजो के विपरीत है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नामान्तकरण पंजिका में अंकित सजरा में दर्ज प्रविष्टियों के विपरीत जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया है जो काबिल खारिजी के है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण आदेश मे अपीलान्टस के पिता देवीलाल के बजाय रामभरोषी अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार सैपऊ को दिये जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्टस के पिता का रामभरोसी के स्थान पर देवीलाल अंकित कर दिया है जो कि जॉच का विषय है। तहसीलदार द्वारा जॉच करने के उपरान्त अपीलान्टस के पिता का नाम शुद्व किया जा सकता है। प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 315 वाके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ में रामभरोसी के निधनोपरान्त उनकी विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया है जिसमें अपीलान्टस के पिता का नाम रामभरोसी के बजाय देवीलाल दर्ज कर दिया है जो कि असलियत के विपरीत है। नामान्तकरण पर दर्ज सजरा सही अंकित किया गया है जबकि नामान्तकरण के कोलम नम्बर 9 में अपीलान्टस के पिता का नाम रामभरोसी के बजाय देवीलाल दर्ज कर दिया है जो अपने आप में गलत एंव नामान्तकरण पर दर्ज इन्द्राजो के विपरीत है। इस सम्बध में पत्रावली पर उपलब्ध

अपीलाधीन नकल नामान्तकरण संख्या 315 वाके ग्राम तसीमों तहसील सैंपऊ का हमने अवलोकन किया। रामभरोषी के निधनोपरान्त उनकी विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया है जिसमें अपीलान्टस के पिता का नाम रामभरोषी के बजाय देवीलाल दर्ज कर दिया है जो कि असलियत के विपरीत है। नामान्तकरण पर दर्ज सजरा सही अंकित किया गया है जबकि नामान्तकरण के कोलम नम्बर 9 में अपीलान्टस के पिता का नाम रामभरोसी के बजाय देवीलाल अंकित किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया तथ्यों के विपरीत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाकर तहसीलदार सैपऊ को अपीलान्टस के पिता संबधी वल्दियत की पुनः जॉच कर नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 315 वांके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टस के पिता संबधी वल्दियत की पुनः जॉच कर उभयपक्षों को सुनकर अपीलान्टस के पिता का सही नाम दर्ज करने हेतु नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)